

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज मु.सं- 30/०.२२१A गुलाम देवी / अन्याय</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	---	---

5-4-23

अधिकारिता प्राचीन उपस्थित। अधिकारिता अर्थात् से
5 लका. 8 उपस्थित। अधिकारिता अर्थात् से 5 लका. 8
द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिंहराय में विचाराधीन प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन
अधिकारी श्री जनकसिंह उपखण्ड अधिकारी सिंहराय
का स्थानांतरण हो चुका है। अधिकारिता प्राचीन द्वारा
उक्त तथ्य से सहमत होना व्यक्त किया गया।

संबंधित पीठासीन अधिकारी श्री जनकसिंह तत्कालीन
उपखण्ड अधिकारी सिंहराय के विरुद्ध प्रार्थना पत्र
स्थानांतरण प्रस्तुत किया गया है उनका स्थानांतरण हो
चुका है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रार्थना पत्र
स्थानांतरण सारधीन एवं प्रभावहीन हो जाने से इसी
स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंहराय में
विचाराधीन प्रकरण सं 86/2022 बाहु वानत दुर्गस्ती
हरमीम इन्द्राज एवं प्रार्थना पत्र अस्वाइ निषेधाज्ञा मुं
38/2022 उनवानी गुलाम देवी वगैरा वनाम कमला
कंवर वगैरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण
करने हेतु प्राचीन गुलाम देवी पत्नी रामकरण, भौरीदेवी
पत्नी धन्नाराज जाति गुर्जर निवासी कैलाश तहसील
सिंहराय जिला रोसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र स्थानांतरण सारधीन एवं प्रभावहीन होने
से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सिंहराय को निलय की जाति मिज्बाई
जाये। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर नम्बर से कम
हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जाये। निर्णय
आज्ञा दिनांक 05-4-2023 को मेरे द्वारा मुते न्यायालय
में अनामक गय।

निर्णय सं
464
17-4-25

